भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला।

(आदेश–फलक)

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71 (ए) के अर्न्तगत

आर0पी0 वाद संख्या–06/2015–16 (08/2016-17)

वाद का प्रकार :– भू–वापसी

कारामवाला दिगार, पिता–स्व0 हरी कुमार दिगार .... आवेदिका

–बनाम–

श्री गौर सेन, पिता–भूपति सेन एवं अन्य–01 .....विपक्षी

क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
20.01.17	यह वाद कारामवाला दिगार, पिता–स्व0 हरि कुमार दिगार, निवासी ग्राम–ब्राह्मणकुण्डी, थाना–बड़शोल, अंचल–बहरागोड़ा, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत भूमि वापसी के लिए दायर आवेदन पत्र के आधार पर प्रारम्भ की गयी। अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा से जाँच प्रतिवेदन की मांग करते हुए उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा के पत्रांक–431, दिनांक–23/09/2016 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हैं। विवादित भूमि का विवरणी निम्न प्राकर है:–	

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
ब्राह्मणकुण्डी	596	46	566	0.08ए0
			569	0.03ए0
			684	0.18ए0
			कुल रकवा–	0.29ए0

उभय पक्ष अपने–अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से दिनांक–26/10/2015 को कारण–पृच्छा दाखिल किया गया हैं।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि हाल सर्वे 1964 के खतियान में कोकिल डाकुवा, पिता–ईश्वर डाकुवा के नाम पर विवादित भूमि दर्ज हैं, जो आवेदक के मामा हैं। विपक्षी के द्वारा 11 वर्षों से अवैध एवं जबरन कब्जा किये हुए हैं। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 CNT Act. के तहत किसी भी तरह से विपक्षी के नाम पर हस्तांतरण नहीं हुआ हैं। अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71(A) के तहत प्रश्नगत भूमि को भू–वापसी (Restore) करने का अनुरोध

किया गया हैं।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दायर कारण–पृच्छा में बताया गया कि यह वाद विपक्ष के खिलाफ false दायर किया गया हैं तथा Point of Law or तथ्यात्मक बिन्दुओं को Maintainable नहीं करता हैं। विपक्षी विवादित भूमि को वर्ष 1965 में Mutual deed of Exchange के माध्यम से भूमि का Exchange किया गया हैं। विपक्षी उक्त प्लॉट के आंशिक भाग पर लगभग 60 वर्ष के पूर्व से दखल कर मकान बनाकर रह रहे हैं। जिसके कारण छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–71(A) इस वाद में लागु नहीं होगा। इसलिए आवेदक द्वारा किये गये आवेदन को खारिज किया जाय।

अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, अभिलेख के साथ संलग्ल कागजात एवं उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात निम्नांकित तथ्यों को पाया :–

प्रश्नगत भूमि हाल सर्वे सेटलमेंट 1964 के खतियान एवं पंजी–II में आवेदिका के मामा कोकिला डाकुवा, पिता–ईश्वर डाकुवा के नाम पर दर्ज हैं।

विपक्षीगण के द्वारा जमा की गई दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। इसमें सिविल कोर्ट का आदेश (दिनांक–21/04/1965) को भी जाँचा गया। इस आदेश में समझौता याचिका को आदेश का एक हिस्सा माना गया। समझौता याचिका में भूपति नाथ सेन और कोकिला चन्द्र डाकुआ ने आपस में विभिन्न प्लॉट/भूमि (जो कि इस वाद में प्रश्नगत भूमि हैं) का आपस में अदला–बदली किया। इसे विपक्षीगण Mutual deed of exchange के रुप में कह रहे हैं। परन्तु नियमानुसार :

"C:ompromise decree obtained by civil Court- It is violation of Section 46-Such decree is of no avail {Md. Munna Ali and another Vrs. State of Bihar, 2002 (3) JCR 121 : 2002 (2) JLJR 519 (Jhr)}."

आवेदिका अनुसूचित जनजाति का सदस्य हैं एवं विपक्षी सामान्य वर्ग के सदस्य हैं, दोनो अलग–अलग जाति के सदस्य हैं। प्रशनगत भूमि का हस्तांतरण वैधिक रुप से नहीं हुआ हैं। जिसमें CNT Act. के Section-46 का उल्लंधन हुआ हैं।